संख्या-12 /2025//001-1332-23-12-2024-23-12099-099-116-2024

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार तथा विभिन्न मार्गो पर सुरक्षा सम्बन्धी कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जनपद अलीगढ़, कासगंज, रामपुर, लखनऊ एवं सीतापुर के चिन्हित 43 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-290/01- आगणन फाईल/2024 (193657), दिनांक 16.12.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में दुर्घटना वाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार तथा विभिन्न मार्गो पर सुरक्षा सम्बन्धी कार्य योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित जनपद अलीगढ़, कासगंज, रामपुर, लखनऊ एवं सीतापुर के चिन्हित ब्लैक स्पॉट के 43 कार्यों की कुल लागत रू0 958.31 लाख (रूपये नौ करोड़ अट्ठावन लाख इकतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागत के सापेक्ष कुल रू0 478.95 लाख (रूपये चार करोड़ अठहत्तर लाख पंचानवे हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/ प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	तृतीय चरण की कार्ययोजना में कार्य का क्रमांक	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	लागत	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित आवंटन
1	6	3	5	7	8
1	2	अलीगढ़/ प्रा0खं0	जनपद अलीगढ़ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अलीगढ़ के अन्तर्गत छतारी-अतरौली-कासगंज मार्ग (एस0एच0 105) के चैनेज 23.025 से 23.950 में तैवथू पर ब्लैक स्पॉट (बी0एस0 कोड यू0पी0 8564) का सुधारात्मक कार्य।	37.19	18.50
2	3	अलीगढ़/ प्रा0खं0	जनपद अलीगढ़ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़ रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) के किमी0 37 में गनेशपुर तिराहा जंक्शन पर ब्लैक स्पॉट (बी0एस0 कोड यू0पी0 8565) का सुधारात्मक कार्य।	16.21	8.10
3	4	कासगंज/ प्रा0खं0	जनपद कासगंज में चिन्हित ब्लैक स्पॉट (2023 में चिन्हित एवं पुनरावृती 2024) एटा कासगंज मार्ग से अमरपुर घाट चांडी-सहावर मार्ग (अ0 जि0 मार्ग) के चैनेज 16.750 (बहेटा चौराहा) पर दीर्घकालीन सुधार का कार्य।	4.01	2.00
4	139	कासगंज/ प्रा0खं0	मोहनपुरा गंगीरी वाया नन्देघाट मार्ग (अन्य जिला मार्ग) रोड सेफ्टी के अनुसार काली नदी पुल की एप्रोच पर क्रैश बैरियर का कार्य।	12.12	6.06

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	140	कासगंज/ प्रा0खं0	कासगंज बाईपास मार्ग (अन्य जिला मार्ग) रोड सेफ्टी के अनुसार हम्प, साईन बोर्ड, कॉशन बोर्ड, थर्मोप्लास्टिक पेन्ट, क्रैश बैरियर चैनेज 9.000 से 13.300, 14.000 से 15.000 तक निचली गंगा नहर के समानान्तर क्रैश बैरियर का कार्य।	247.59	123.79
6	141	कासगंज/ प्रा0खं0	ढोलना अथैया मार्ग (अ0जि0मा0) रोड सेफ्टी के अनुसार काली नदी की पुल की एप्रौच पर क्रैश बैरियर का कार्य।	15.15	7.57
7	142	कासगंज/ प्रा0खं0	काली नदी नगला पीपल कानरखेडा सेतु का पहुँच मार्ग (ग्रामीण मार्ग) रोड सेफ्टी के अनुसार काली नदी की पुल की एप्रौच पर क्रैश बैरियर का कार्य।	12.12	6.06
8	134	रामपुर/ नि0खं0	शाहाबाद रामपुर बाजपुर मार्ग (एस0एच0 144) के चैनेज 19.700 में स्थित पटवाई चौराहा पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	75.81	37.90
9	135	रामपुर/ नि0खं0	माल गोदाम तिराहे से जौहर अस्पताल मार्ग (शहरी मार्ग) पर पड़ने वाले 01 चौराहें (चैनेज 6.250) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	20.8	10.40
10	136	रामपुर/ नि0खं0	भमौरा शाहाबाद बिलारी मार्ग (राज्य मार्ग) के चैनेज 54.200 में स्थित शाहाबाद चौराहा पर सड़क सुरक्षा सुधार का कार्य।	91.22	45.60
11	27	लखनऊ/ प्रा0खं0	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में लाहियापथ हजरतगंज चौराहे से विक्रमादित्य चौराहे होते हुए जियामऊ चौराहा से पॉलिटेक्निक चौराहा वाया 08 लेन ब्रिज के किमी0-4 पर स्थित लोहिया चौराहा (ब्लैकस्पॉट सं0-यू0पी0 7084 वर्ष-2023) का सुधार कार्य।	15.75	7.87
12	28	लखनऊ/ प्रा0खं0	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में लाहियापथ हजरतगंज चौराहे से विक्रमादित्य चौराहे होते हुए जियामऊ चौराहा से पॉलिटेक्निक चौराहा वाया 08 लेन ब्रिज के किमी0-4 पर स्थित समतामूलक (ब्लैकस्पॉट सं0-यू0पी0 7083 वर्ष-2023) का सुधार कार्य।	27.92	13.96
13	29	लखनऊ/ प्रा0खं0	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में चन्द्रिका देवी-बी0के0टी0-कुम्हरावा-बाबागंज मार्ग के किमी0-7 पर स्थित जी0सी0आर0जी0 कॉलेज (ब्लैकस्पॉट सं0-यू0पी0 7065 वर्ष 2023) का सुधार कार्य।	3.03	1.51
14	30	लखनऊ/ प्रा0खं0	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में इंटौजा-महोना- कुमहरांवा-कुर्सी-देवा-चिनहट मार्ग के किमी0-11 पर स्थित कुम्हरांवा चौराहा (ब्लैकस्पॉट सं0-यू0पी0 7066 वर्ष 2023) का सुधार कार्य।	9.80	4.90
15	31	लखनऊ/ प्रा0खं0	लखनऊ-कुर्सी-महमूदाबाद मार्ग पर लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नं0-2 ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य।	6.11	3.05
16	32	लखनऊ/ प्रा0खं0	लखनऊ-कुर्सी-महमूदाबाद मार्ग पर सेन्ट मैरी पॉलीक्लीनिक तिराहे पर ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य।	10.96	5.48
17	33	लखनऊ/ प्रा0खं0	लखनऊ शहर में विधाता होटल के पास स्थित ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य। (लखनऊ कानुपर मार्ग तथा हरदोई मार्ग से सीतापुर मार्ग (रिंग रोड) 06 लेन मार्ग सर्विस लेन सहित)।	4.04	2.02
18	34	लखनऊ/ प्रा0खं0	मल्हौर रेलवे स्टेशन से लौलाई मार्ग पर लौलाई एस0के0 फुट प्लाजा ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य।	6.03	3.00
19	35	लखनऊ/ प्रा0खं0	लोहियापथ से डॉ राम मनोहर लोहिया हास्पिटल चौराहा एवं इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान चौराहा होते हुए शहीदपथ तक मार्ग पर पिकअप ढाल ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य।	9.93	4.96
20	36	लखनऊ/ प्रा0खं0	लोहियापथ से डॉ राम मनोहर लोहिया हास्पिटल चौराहा एवं इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान चौराहा होते हुए शहीदपथ तक मार्ग पर इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान चौराहा ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य।	8.11	4.05
21	37	लखनऊ/ प्रा0खं0	लखनऊ शहर में सी0डी0आर0आई0 तिराहे के पास स्थित ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य।	7.10	3.55

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

22	133	सीतापुर/ प्रा0खं0	जनपद सीतापुर में प्रा0खं0 के अन्तर्गत रतनगंज काशीपुर भिठौली चन्द्रसेनी जहांगीराबाद मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 2 जंक्शन का निर्माण कार्य	6.92	3.46
23	109	सीतापुर / नि0खं0	बिलरांया- पनवारी मार्ग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	72.01	36.00
24	110	सीतापुर / नि0खं0	नीमसार ब्यास गददी सम्पर्क मार्ग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	5.47	2.73
25	111	सीतापुर / नि0खं0	पुराना राष्ट्रीय मार्ग -24 का शहरी भाग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	21.98	11.00
26	112	सीतापुर / नि0खं0	नैपालापुर-कसरैला मार्ग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	2.93	1.46
27	113	सीतापुर / नि0खं0	नीमसार पुलिस चौकी से राजघाट सम्पर्क मार्ग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	3.37	1.68
28	114	सीतापुर / नि0खं0	जिलाधिकारी आवास से कोतवाली होते हुए सरकारी अस्पताल तक पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	11.19	5.59
29	115	सीतापुर / नि0खं0	रामकोट-वजीरनगर- दधनामऊ मार्ग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	54.47	27.23
30	116	सीतापुर / नि0खं0	हनुमान गढी से चंुगी चौराहा बाया पुलिस चौकी मार्ग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	2.61	1.30
31	117	सीतापुर / नि0खं0	बड़ा डाकखाने से ट्रांसपोर्ट चौराहे तक पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	6.86	3.43
32	118	सीतापुर / नि0खं0	कल्ली-नीमसार-पनाहनगर मार्ग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	9.08	4.54
33	119	सीतापुर / नि0खं0	सदर बाजार से बहुगुणा चौराहा होते हुए कनवाखेड़ा-रामकोट मार्ग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	12.93	6.46
34	120	सीतापुर / नि0खं0	बिलरायॉ पनवारी मार्ग से दधीचि कुण्ड होते हुए सिधौली मिश्रिख मार्ग तक सम्पर्क मार्ग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	3.66	1.83
35	121	सीतापुर / नि0खं0	राष्ट्रीय मार्ग-24 बाई पास से बहुगुणा चौराहे होकर जिलाधिकारी आवास तक पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	6.98	3.49
36	122	सीतापुर / नि0खं0	सरोसा से ककरघटा वाया रामगढ़ चीनी मिल मार्ग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	10.64	5.32
37	123	सीतापुर / नि0खं0	पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग (शहरी भाग) से हबीबपुर मार्ग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	2.99	1.49
38	124	सीतापुर / नि0खं0	खैराबाद-मछरेहटा-कल्ली अ0जि0 मार्ग के किमी0 21 (बेतवा नाला) से जरिगवां, ब्रहमावली, नहोईया, लोधौरा होते हुए मढ़िया सम्पर्क मार्ग।	15.10	7.55
39	125	सीतापुर / नि0खं0	नवीन चौक से कैप्टन मनोज पाण्डेय चौराहा होते हुए श्यामनाथ मंदिर तक मार्ग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	10.23	5.11
40	126	सीतापुर / नि0खं0	मिश्रिख-रेवले स्टेशन से गौरीहार-मरेली-लोकनापुर-रघुनाथपुर ऐनी-नगवापेड़ी हाते हुए जरिगवां- ब्रहमावली अन्य जिला मार्ग के किमी0 08 तक पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	25.02	12.50
41	127	सीतापुर / नि0खं0	तरण ताल से पक्का पुल होते हुए सिटी स्टेशन तक पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	11.49	5.75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

42	128	सीतापुर / नि0खं0	धरौली-नटपुरवा-पहला आश्रम अन्य जिला मार्ग के किमी0 08 से महमदपुर- गांगूपुर गेट- महसुई- रामगढ़ चीनी मिल होते हुए कोरौना तक मार्ग पर पड़ने वाले चौराहे/जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	16.60	8.30
43	129	सीतापुर / नि0खं0	लालबाग चौराहे से घण्टाघर होते हुए हसनअली चौराहे सड़क सुरक्षा का कार्य।	4.78	2.40
			कुल योग	**958.31**	**478.95**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2- प्रश्नगत परियोजनाओं का कार्य शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त 06 माह में पूर्ण कर लिया जाय तथा उक्त परियोजनाओं का भविष्य में पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

6- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्य में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

7- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0- ए-2-23/दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-7-2-1606/दस-2014- 17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्ययाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

8- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

9- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

10- विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

11- विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

12- जी०एस०टी० की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

14- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

15- लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय जाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04- 2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्तां (मु०-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली क्षेत्रीय अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

17- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- उपरिलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्य प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 4,78,95,000 (रूपये चार करोड़ अठहत्तर लाख पंचानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मैं अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371400 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट का सुधार, सौन्दयीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-604-एक्स-2024-25, दिनांक 07.01.2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-12/2025//001-1332(1)-23-12-2024-23-12099-099-116-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, लोक लिर्माण विभाग, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
12- अधीक्षण अभियन्ता, आई0डी0एस0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13- नोडल अधिकारी, (ऑनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव

http://shasanadesh.upnic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।